प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
(दावा प्रक्रिया)

1) दुर्घटना, जिसके कारण पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न हो सकता है, के घटित होने के तत्काल बाद, बीमित या नामिती (बीमित की मृत्यु के मामले में) उस बैंक शाखा से सम्पर्क करे जहां बीमित व्यक्ति का उल्लिखित खाता हो जिससे पॉलिसी का प्रीमियम ऑटो डेबिट हुआ हो तथा विधिवत् रुप से भरा हुआ दावा फार्म प्रस्तुत करे ।

2) दावा फॉम निर्दिष्ट वेबसाइट सहित उपर्युक्त बैंक शाखा या किसी अन्य निर्दिष्ट स्रोत जैसे बीमा कंपनी शाखाएं, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य कैंन्द्र, बैंकिंग कौरेसपांडेंट्स, बीमा एजेंटों आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं । संबंधित बीमा कंपनियां ऐसे सभी स्थानों पर फार्म की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी । फार्म हेतु अनुरोध पर किसी व्यक्ति को इसकी आपूर्ति की मनाही नहीं की जाए ।

3) दावा फार्म बीमित या नामिती, जैसा भी मामला हो, द्वारा पूरा किया जाएगा और दूर्घटना, जिससे पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न हुआ, के घटित होने के अधिमानत: 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त बैंक शाखा में प्रस्तुत किया जाए।

4) बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दावा फार्म के साथ मूल एफआईआर/पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए तथा स्थायी विकलांगता के मामले में मूल एफआईआर/पंचनामा तथा किसी सिविल सर्जन द्वारा जारी अपंगता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए। दावेदार/नामिती द्वारा संलग्न प्रारुप में अदायगी रसीद भी प्रस्तु की जाएगी।

5) बैंक के प्राधिकृत अधिकारी खाते/ऑटो डेबिट विवरणों तथा खाते का विवरण, नामांकन, प्रीमियम के डेबिट होने/बीमाकर्ता को किए गए विप्रेषण की जांच करेंगे तथा दावा फार्म में दी गई सूचना की सत्यता प्रमाणि करेंगे तथा दावा प्रस्तुत किए जाने के 30 दिनों के भीतर इसे संबंधित बीमा कंपनी को अग्रेषित करेंगे ।

6) बीमाकर्ता इसकी जांच तथा पुष्टि करेगा कि बीमित के लिए प्रीमियम विप्रेषित किया गया है तथा उक्त बीमित को मास्टर पॉलिसी में बीमित व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है ।

7) बैंक को मास्टर पॉलिसी जारी करने वाली बीमा कंपनी से दावा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे के संबंध कार्रवाई करेगी ।

8) स्वीकार्य दावा राशि बीमित या नामिति, जैसा भी मामला हो के बैंक खाते में विप्रेषित की जाएगी ।

9) यदि बीमित ने अपना नामिती घोषित न किया हो तो उसकी मृत्यु के मामले में सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/कानूनी वारिस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कानूनी वारिसों को स्वीकार्य दावा राशि अदा की जाएगी ।

10) बैंक द्वारा विधिवत् रुप से पूर्णत: भरे हुए फार्म को बीमा कंपनी को अग्रेषित करने की अधिकतम समय-सीमा 30 दिन है तथा बीमा-कंपनी द्वारा दावा को अनुमोदित करने तथा तत्पश्चात् राशि संवितरित करने अधिकतम समय-सीमा तीस दिन है ।

****

015107CF/SC